बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग

सं०सं० ः

यो०स्था०३ / ०३—०३ / २०१६

/ यो०वि०,पटना,दिनांक

जून, 2025

संकल्प

श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक—सह—ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, तत्कालीन प्रभारी जिला योजना कार्यालय, सिवान (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया) के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गई कतिपय अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—17 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या—1427 दिनांक—26.05.2009 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन कर आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—08 दिनांक—07.01.2011 द्वारा संचालन पदाधिकारी—सह—उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात विभागीय पत्रांक—1219 दिनांक—18.04.2011 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित आरोप पर श्री गुप्ता से कारण पृच्छा की मांग की गयी। तदालोक में श्री गुप्ता द्वारा अपना लिखित अभिकथन (दिनांक—12.05.2011) समर्पित किया गया।

3. उपर्युक्त आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं निम्नांकित आरोपों पर सहमति प्रकट की गयी :--

(i) जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पद का प्रभार प्रतिवेदन में अपलेखन तथा जालसाजी कर अवैध वेतन की निकासी की गयी। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक–10.09.2007 को प्रभार ग्रहण किया गया परन्तु तिथि का अपलेखन कर इसे दिनांक–22.08.2007 दिखाया गया। उक्त प्रभार रहित अवधि को विनियमित कराए बिना वेतन निकासी की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसा किया गया।

श्री गुप्ता के विरूद्ध जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पद का प्रभार प्रतिवेदन में अपलेखन एवं जालसाजी कर अवैध वेतन निकासी का आरोप पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है। यह आरोप सरकारी अभिलेख में अपलेखन एवं जालसाजी से संबंधित है जिसके आधार पर इनके द्वारा प्रभार रहित अवधि को बिना विनियमित कराए गलत सूचना देकर वेतन पर्ची प्राप्त कर कोषागार से अवैध निकासी कर ली गई। अतः इनके द्वारा निहित स्वार्थवश इस अपलेखन का कार्य किया गया है।

(ii) श्री गुप्ता के विरूद्ध तुरकौलिया थाना कांड संख्या—249/01 दर्ज होने के कारण दिनांक—29.11.2001 से दिनांक—01.12.2001 तक मंडल कारा मोतिहारी में बंदी अवधि की सूचना विभाग को नहीं दी गयी। उक्त अवधि का वेतन निकासी का आरोप आंशिक रूप से श्री गुप्ता पर प्रमाणित पाया गया।

4. प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गुप्ता के विरूद्ध ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दंड विनिष्चित करते हुए विभागीय पत्रांक–4077 दिनांक–02.12.2011 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी।

5. विभागीय पत्रांक—2418 दिनांक—12.06.2013 द्वारा उपर्युक्त आरोपों, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिया गया परामर्श एवं विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड को श्री गुप्ता को संसूचित करते उनसे

Row.

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। तदालोक में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक–09.09.2013) में कोई विशेष तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक—सह—ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, तत्कालीन प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सिवान (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के लिए विनिश्चित किए गए दंड ''सेवा से बर्खास्तगी'' संबंधी प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक (दिनांक—15.02.2017) में स्वीकृति के उपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—14(X) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या—705 दिनांक—17.02.2017 द्वारा श्री गुप्ता को तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismissal) किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–4300/2017 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :--

33. I have to accordingly hold that "since the foundation of the inititation of Department Proceeding and its conduct have been shown to be entirely illegal, the foundation has to be necessarily removed, as a result of which, the structure/work of punishment given to this writ petitioner stood, is boud to fall" and also for the reason that there has been gross violation of not only principle of natural justice, but, at the same time, the disciplinary authority failed to comply with the mandatory requirement of Article 311 of the Constitution of India and have failed to provide proper opportunity of hearing to the petitioner. The finding recorded by the Disciplinary Authority can only be held to be perverse and are based on no evidence whatsoever. I accordingly, set aside and quash the order of penalty dated 17.02.2017 contained in Memo No. 705 issued by the Disciplinary Authority on the above two scores.

34. The writ petition has been pending before this Court since 2017 and I have already held the Enquiry to be deficient, I don't find to remand the matter back to the concerned authority to re-commit the same afresh. In this regard, I find it proper to inter alia reproduce the observation made by the Apex Court in paragraph no. 8 in case of Allahabad Bank & Ors. vs. Krishna Narayan Tewari reported in (2017) 2 SCC 308:

"8. There is no quarrel with the proposition that in cases where the High Court finds the enquiry to be deficient, either procedurally or otherwise, the proper course always is to remand the matter back to the authority concerned to redo the same afresh. That course could have been followed even in the present case. The matter could be remanded back to the disciplinary authority or to the enquiry officer for a proper enquiry and a fresh report and order. But that course may not have been the only course open in a given situation. There may be situations where because of a long time-lag or Such other supervening circumstances the writ court consider it unfair, harsh or otherwise unnecessary to direct a fresh enquiry or fresh order by the competent authority. That is precisely what the High Court has done in the case at hand."

35. It has been informed that during the pendency of the writ petition, the petitioner has superannuated. In the peculiar facts of the case, I find that once the State Government had withdrawn the proposal of dismissal in its meeting dated 30.09.2014 (Annexure-6 to the writ petition), the petitioner is directed to be reinstated in service from the effective date on which he has been dismissed from the service and is also consequential benefits, which accured as a result of his continuity in service and accordingly, the last pay scale of the petitioner has to be fixed for the purposes of fixation of pension of the petitioner, alongwith other retiral benefits due to the petitioner, within a period of 3 months.



36. The writ petition is accordingly allowed, but in circumstances of the case, there shall be no order as to costs.

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या—1203/2024 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—07.04.2025 को पारित न्यायादेश द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—4300/2017 में दिनांक— 01.08.2024 को पारित न्यायादेश को यथावत रखने का आदेश निर्गत किया गया।

7. इसी क्रम में श्री गुप्ता द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–4107/2024 दायर किया गया जिसमें दिनांक–11.04.2025 को पारित न्यायादेश द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4300/2017 के मामले में दिनांक–01.08.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किए जाने का निदेश दिया गया है।

8. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा परामर्श दिया गया कि,

"No Case for filing SLP is made out. Order of writ court as affirmed by LPA Bench be complied forthwith."

तदुपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या—1093 दिनांक—20.11.2018 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत मामले को दिनांक—02.06.2025 को आहूत बैठक में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है कि,

''श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सिवान (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–705 दिनांक–17.02.2017 द्वारा संसूचित दंडादेश को निरस्त किया जाता है।''

समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक—सह—ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सिवान (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या—705 दिनांक—17.02.2017 द्वारा संसूचित **दंडादेश को निरस्त** किया जाता है।

श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक—सह—ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया का वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 31.01.2023 थी। अतः सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—4300/2017 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—01.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री गुप्ता को दिनांक—17.02.2017 से सेवानिवृत की तिथि तक सभी परिणामी लाभ यथा—वेतन, भत्ता आदि तथा सेवांत लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/— (रविश किशोर) संयुक्त सचिव ज्ञापांक : यो०स्था03/03—03/2016 /यो0वि0,पटना,दिनांक जून, 2025 प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0∕− संयुक्त सचिव

/ यो0वि0,पटना,दिनांक ज्ञापांक : यो०स्था०३ / ०३—०३ / २०१६ जून, 2025 क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई सुनिष्चित करने हेतु प्रेषित। ई—मेल / डाक

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः	यो०स्था०३ / ०३—०३ / २०१६	/ यो०वि०,पटना,दिनांक जून, २०२५
प्रतिलिपि –	कोषागार पदाधिकारी, जिला	कोषागार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
ई—मेल/डाक	हेतु प्रेषित।	

ह0/-

संयुक्त सचिव

/ यो0वि0,पटना,दिनांक यो०स्था०३ / ०३–०३ / २०१६ जून, 2025 ज्ञापांक : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य प्रतिलिपि – सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णिया / जिला योजना पदाधिकारी, सिवान / श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो०स्था०३ / ०३-०३ / २०१६ - 3040 / यो०वि०, पटना, दिनांक 05 जून, 2025 प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो प्रतिलिपि – हार्ड कॉपी के साथ ८ूआई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8) 3118. 2 m + a 2 m

ई–मेल/डाक